



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 118 राँची, बुधवार,

1 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 फरवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-71/2018-19239 (HRMS)--श्री राधेश्याम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-835B/03, गृह जिला- नवादा), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गढ़वा के विरुद्ध उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-267/ स्था०, दिनांक 09.06.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री प्रसाद के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

1. अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापन के पश्चात् कर्णांकित आवास आवंटित रहने के बाद भी परिसदन, गढ़वा के कमरे पर अनधिकृत रूप से आवासित रहते हुए मकान किराया भत्ता की निकासी वेतन विपत्र के माध्यम से किया जाता रहा, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है ।
2. बहुधा बिना अवकाश स्वीकृत कराये मात्र आवेदन देकर आदतन मुख्यालय छोड़ने एवं सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप। साथ ही बार-बार अर्जित अवकाश संबंधी आवेदन पत्र देकर बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़ना ।

3. सीधी बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानबूझकर अनुपस्थित रहना, मुख्यमंत्री जनसंवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि नहीं लेना तथा जन सुविधा का नोडल पदाधिकारी होने के पश्चात् भी उक्त से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का आरोप ।
4. बाढ़ में टूटे हुए तालाबों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद में आई हुई राशि को आपके द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण पूरी तरह व्यय नहीं किया जा सका एवं उसे प्रत्यापित भी करना पड़ा ।
5. वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रभार नहीं देना ।
6. जिले के विकास कार्यों में रुचि नहीं लेना तथा भवन निर्माण आदि के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने पर अनावश्यक आपत्ति एवं विलम्ब करना ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5432, दिनांक 20.07.2018 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 10.09.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8759, दिनांक 03.12.2018 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी है। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-113, दिनांक 30.03.2020 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है ।

श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1484(hrms), दिनांक 09.02.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-29, दिनांक-23.06.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि वे भाड़े के मकान में आवासन कर रहे थे और इसलिए मकान किराया भत्ता का भुगतान उनके द्वारा प्राप्त किया गया, जबकि आरोप पत्र के अनुसार आरोपी पदाधिकारी परिसदन गढ़वा के कमरे में अनधिकृत रूप से आवासित रहते हुए मकान किराया भत्ता की निकासी वेतन विपत्र के माध्यम से की गई है। फलस्वरूप, नजारत उपसमाहर्ता, गढ़वा द्वारा 133 दिन का 400/- प्रतिदिन की दर से कुल 53,200/- रुपये सरकारी कोष में जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। उक्त आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा 10,000/- रुपये भी जमा किया गया है। आरोपी पदाधिकारी के अनुसार वे कभी-कभी विशेष परिस्थिति में ही परिसदन भवन में आवासन करते थे। उक्त से स्पष्ट है कि उनके द्वारा परिसदन में आवासन/रहना स्वीकार किया गया है, किन्तु कितने दिनों का रु०-10,000/- जमा किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है ।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-555, दिनांक 24.11.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत अपर समाहर्ता के लिए कर्णाकित आवास नहीं है। श्री प्रसाद, तत्कालीन अपर समाहर्ता, गढ़वा को योगदान के पश्चात् आवास उपावंटित नहीं किया गया था, जिसके कारण वे निजी आवास में आवासित थे। उक्त अवधि का मकान किराया भत्ता विपत्र के माध्यम से निकासी की गई है। कभी-कभार कार्यालय में व्यस्तता के कारण वे परिसदन, गढ़वा में आवासित होते थे, जिसके लिए उनके द्वारा कुल 25 दिनों का 400/- प्रतिदिन की दर से कुल 10,000/- रुपये मात्र सरकारी खाता में जमा किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा परिसदन भवन गढ़वा में आवासित अवधि का निर्धारित किराया भुगतान कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/ मंतव्य एवं उपायुक्त, गढ़वा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राधेश्याम प्रसाद, झांप्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता, गढ़वा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम प्रसाद, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RADHE SHYAM PRASAD BHR/BAS/3921	श्री राधेश्याम प्रसाद, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-835B/03, गृह जिला- नवादा), तत्कालीन अपर समाहर्ता, गढ़वा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
